

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2010—कार्तिक 4, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

क्र. डी-15-30-10-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ड) “निर्वाचन क्षेत्र” के अभिप्रेत है यथास्थिति, कृषकों के प्रतिनिधियों के दस निर्वाचन क्षेत्र या मण्डी समिति के अध्यक्ष के या व्यापारियों के या तुलैया तथा हम्मालों के निर्वाचन क्षेत्र.”.

2. नियम 3 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) प्रत्येक मण्डी क्षेत्र को अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए दस निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा तथा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए व्यापारियों के प्रतिनिधि के लिए सम्पूर्ण मण्डी क्षेत्र एक निर्वाचन क्षेत्र होगा और अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिए तुलैयों तथा हम्मालों के प्रतिनिधि के लिए सम्पूर्ण मण्डी क्षेत्र एक निर्वाचन क्षेत्र होगा.”.

3. नियम 7 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए अर्थात् :—

“(1) कलक्टर, अधिनियम की धारा 11, 11-ख तथा 12 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कृषक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तथा प्रत्येक मण्डी समिति के लिए व्यापारियों, तुलैयों तथा हम्मालों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए एक मतदाता सूची पृथक् से प्ररूप-1 में तैयार करवाएगा.”

4. नियम 12 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(5) उस वर्ष की पुनरीक्षित मतदाता सूची जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया गया हो, आगामी उत्तरवर्ती वर्ष के लिए उक्त निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी.”

5. नियम 14-ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“14-ग प्रथम बार के लिए तुलैयों तथा हम्मालों के प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिये मतदाता सूची का तैयार किया जाना—

(1) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कलक्टर, तुलैयों तथा हम्मालों के प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिये प्रथम बार प्ररूप 1 में मतदाता सूची तैयार कराएगा.

(2) कलक्टर, मतदाता सूची तैयार करने के प्रयोजन के लिये, मण्डी समिति से यह अपेक्षा करेगा कि वह उन समस्त व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार करें तथा उसे प्रस्तुत करें जो मण्डी समिति में तुलैयों तथा हम्मालों के रूप में मण्डी समिति से (ऐसी मण्डी समिति के मामले में, जो अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रथम बार स्थापित की गई हो, अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी) दो लगातार वर्षों की कालावधि से अनुज्ञप्ति धारण कर रहे हों.

(3) इस नियम के अधीन मतदाता सूची तैयार करने के लिए नियम 14-क के उपनियम (6) में अंतर्विष्ट प्रक्रिया का यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुसरण किया जाएगा.”

6. नियम 29 में, उपनियम (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख क) तुलैयों तथा हम्मालों के प्रतिनिधि के निर्वाचन के मामले में प्ररूप 6-क में;”

7. नियम 31 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) किसी निर्वाचन क्षेत्र से कृषक व्यापारी, तुलैया तथा हम्माल के लिए किसी अभ्यर्थी की दशा में एक हजार रुपए की राशि और जहां कोई अभ्यर्थी महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है वहां दो सौ पचास रुपए की राशि;”

8. नियम 35 में, उपनियम (1) में, अंक “12” के स्थान पर, अंक “12, 12-क” स्थापित किए जाएं.

9. नियम 82 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“82-क. तुलैयों तथा हम्मालों के प्रतिनिधि का निर्वाचन.—

(1) कोई व्यक्ति तुलैयों तथा हम्मालों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि—

(क) उसका नाम अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के उपबंधों के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची में सम्मिलित न हो.

- (ख) वह तुलैया तथा हम्माल न हो.
- (ग) वह इस प्रकार निर्वाचित होने के लिए अन्यथा अनर्हित न हो.
- (घ) उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो.
- (2) कोई व्यक्ति तुलैयों तथा हम्मालों के प्रतिनिधि के रूप में एक से अधिक मण्डी समिति से निर्वाचन का पात्र नहीं होगा.
- (3) इन नियमों के नियम 43 से 82-क तक के उपबंध तुलैयों तथा हम्मालों के प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिये लागू होंगे.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

10. प्ररूप-1 तथा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप क्रमशः स्थापित किये जाएं, अर्थात :-

“ प्ररूप-1

[नियम 7(1) देखिए]

मतदाता सूची

मण्डी का नाम

जिला

निर्वाचन क्षेत्र का नाम (यदि कोई हो) निर्वाचन क्षेत्र का अनुक्रमांक

अनुक्रमांक	कृषि खाता क्रमांक/ अनुज्ञप्ति क्रमांक	मकान क्रमांक (यदि कोई हो)	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष/ महिला	आयु	कृषक/ व्यापारी/ तुलैया तथा हम्माल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्थान

तारीख

.....
 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मण्डी)

**अनुपूरक मतदाता सूची
(1) समावेश**

अनुक्रमांक (1)	कृषि खाता क्रमांक/ अनुज्ञप्ति क्रमांक (2)	मकान क्रमांक (यदि कोई हो) (3)	मतदाता का नाम (4)	पिता/पति का नाम (5)	पुरुष/ महिला (6)	आयु (7)	कृषक/ व्यापारी/ तुलैया तथा हम्माल (8)
-------------------	---	---	-------------------------	---------------------------	------------------------	------------	---

(2) सुधार

मुख्य मतदाता सूची का अनुक्रमांक (1)	मतदाता का नाम (2)	विद्यमान प्रविष्टि (जिसे संशोधित किया जाना है) (3)	संशोधित प्रविष्टि (4)
---	----------------------	---	--------------------------

(3) विलोपन

मुख्य मतदाता सूची का अनुक्रमांक (1)	मतदाता का नाम (2)
--	----------------------

स्थान

तारीख

.
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मण्डी)

प्ररूप-4
(नियम 26 देखिए)

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)

निर्वाचन की सूचना

अध्यक्ष, कृषक, तुलैया तथा हम्माल तथा व्यापारी के सदस्य के संबंध में निर्वाचन की सूचना.

क्रमांक मध्यप्रदेश कृषि उपज (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम, 26 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में एतद्द्वारा सूचना देता हूँ कि—

- (क) अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट वे रिक्त स्थान हैं जिनके लिये निर्वाचन होगा;
- (ख) अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी मण्डी के अध्यक्ष तथा सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग आफिसर (मण्डी) होगा;
- (ग) कालम (4) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, नामनिर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय होगा,
- (घ) कालम (5) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा;
- (ङ) कालम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा;
- (च) कालम (7) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, मतदान का स्थान, तारीख और समय, होगा;
- (छ) कालम (8) में विनिर्दिष्ट स्थान तारीख और समय, मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय होगा.

स्थान

तारीख

.
जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)

अनुसूची

मण्डी का नाम	रिक्त स्थान जिसके/जिनके लिए निर्वाचन होगा	रिटर्निंग आफिसर (मण्डी) का नाम तथा पदाभिधान	नामनिर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय	नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नामनिर्देशन वापस लेने का स्थान, तारीख और समय	मतदान का स्थान, तारीख तथा समय जिसके दौरान मतदान होगा	मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय
(6)	(7)	(8)

स्थान

तारीख

.
जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).''
.

11. प्ररूप 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप-6-क
(नियम 29 देखिए)
नामनिर्देशन पत्र

मण्डी समिति के तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन

मैं, मण्डी समिति जिला के स्थान से तुलैया तथा हम्माल सदस्य के निर्वाचन के लिये, अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ/करती हूँ—

अभ्यर्थी का नाम

पिता/पति का नाम

उसका डाक का पता

उसका नाम मण्डी समिति जिला के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में क्रमांक पर प्रविष्ट है.

मेरा नाम है जो मण्डी समिति जिला के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के सरल क्रमांक पर प्रविष्ट है.

तारीख

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :—

- (क) मैंने वर्ष की आयु पूरी कर ली है.
- (ख) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप में लिखा गया है.
- (ग) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं अर्हित हूँ तथा मण्डी समिति के तुलैया तथा हम्माल सदस्य के स्थान के लिये चुने जाने हेतु अर्हित हूँ, निरर्हित नहीं हूँ.
- (घ) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की सदस्य हूँ जो मध्यप्रदेश राज्य के (क्षेत्र) के संबंध में अधिसूचित है.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाय)

नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे (तारीख) को बजे अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया था.

रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी)

तारीख

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने संबंधी रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशक पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ:—

.....

.....
 रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी)

तारीख

नामनिर्देशन पत्र की रसीद और संवीक्षा करने की सूचना
 (नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की सूचना दी जाने के लिये)
 नामनिर्देशन पत्र क्रमांक

श्री/कुमारी/श्रीमती..... जो मण्डी..... जिला..... के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी है, का नामनिर्देशन पत्र मुझे तारीख..... को बजे अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया, समस्त नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख..... को..... बजे..... (स्थान)..... की जावेगी.

.....
 रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी)

तारीख

12. प्ररूप 8, 9 तथा 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“प्ररूप-8

[नियम 33(8) देखिए]

अभ्यर्थियों की सूची जिनके नामनिर्देशन पत्र वैध हैं
 अध्यक्ष/कृषक/व्यापारी सदस्य/तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति..... जिला.....

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	अभ्यर्थी का पता (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
आदि			

स्थान

तारीख

समय

.....
 रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी)

प्ररूप-9

[नियम 34 का उपनियम (1) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लेने के लिये आवेदन

मण्डी समिति जिला के कृषक सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के व्यापारी सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के तुलैया तथा हम्माल का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के अध्यक्ष का निर्वाचन

प्रति,

रिटर्निंग अधिकारी,

.

मण्डी समिति के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक में सदस्य के निर्वाचन के लिये, मैं
 पिता/पति का नाम जो ऊपर वर्णित निर्वाचन के लिये सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, एतद्द्वारा सूचना देता/
 देती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता तारीख को वापस लेता/लेती हूँ.

.
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

अभ्यर्थिता वापस लेने की यह सूचना अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के प्रस्तावक/समर्थक द्वारा मुझे तारीख समय
 को दी गई थी जिसे अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया है.

.
रिटर्निंग अधिकारी

स्थान

तारीख

प्ररूप-10

[नियम 34 के उपनियम (4) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लिये जाने की सूचना

मण्डी समिति जिला के कृषक सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के व्यापारी सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के अध्यक्ष का निर्वाचन

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है:—

अनुक्रमांक (1)	विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी (2)	पिता/पति का नाम (3)	पता (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

स्थान
तारीख

.
रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी)
(नाम)''

13. प्ररूप-12 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप-12-क
[नियम 35(1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
मण्डी समिति के तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकसे

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	आवंटित प्रती (चुनाव चिन्ह) (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
आदि			

स्थान
तारीख

.
रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी)''

14. प्ररूप 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 एवं 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप क्रमशः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप-15

[नियम 39 (1) देखिए]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

मण्डी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन
 मण्डी समिति निर्वाचन क्षेत्र कृषक सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति निर्वाचन क्षेत्र व्यापारी सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति निर्वाचन क्षेत्र के तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन

मैं, जो, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ/ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी श्री /श्रीमती/कुमारी
 का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम
 पताको मतदान केन्द्र क्रमांक स्थान में उपस्थित रहने हेतु अपने मतदान अभिकर्ता
 के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ.

स्थान
 तारीख
 अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम

मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ.

स्थान
 तारीख
 मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा
 (पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाए)

मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध
 कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी.

.
 मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए—

स्थान
 तारीख
 पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-16

[नियम 40(1) देखिये]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

मण्डी समिति जिला के निर्वाचन क्षेत्र क्र. से कृषक सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति से व्यापारी सदस्य का निर्वाचन

मण्डी समिति के तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति निर्वाचन क्षेत्र से अध्यक्ष का निर्वाचन
 मैं, जो, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ/ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी
 श्री/श्रीमती/कुमारी का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी
 पिता/पति का नाम पता को गणना के लिये मतदान केन्द्र क्र.
 स्थान नियत स्थान पर गणना के दौरान उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/
 करती हूँ

स्थान
 तारीख
 अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम

मैं, ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये समहत हूँ.

स्थान
 तारीख
 गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

**गणन अभिकर्ता की घोषणा
 (पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाए)**

मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी.

.....
 गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए—

स्थान
 तारीख
 रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी) के हस्ताक्षर

प्ररूप-17

[नियम 55(2) देखिये]

आक्षेपित मतों की सूची

निर्वाचन के दौरान आक्षेपित मतों की विशिष्टियां

- (1) मण्डी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन
- (2) मण्डी समिति के व्यापारी सदस्य का निर्वाचन
- (3) मण्डी समिति के तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन
- (4) मण्डी समिति के कृषक सदस्य का निर्वाचन

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक मतदान केन्द्र क्रमांक स्थान से

अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची के अनुक्रमांक	ग्राम का नाम, जिससे मतदाता सूची संबंधित हो	अभ्याक्षेपित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

आक्षेपित व्यक्ति का नाम	पहचानकर्ता का नाम (यदि कोई हो)	आक्षेपकर्ता व्यक्ति का नाम, पता	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस प्राप्त करने पर आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

स्थान
तारीख

.
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-18

[नियम 59(1) देखिये]

निरक्षर / अंधे / शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा

मण्डी समिति जिला के निर्वाचन क्षेत्र क्र. के कृषक सदस्य का निर्वाचन
मण्डी समिति जिला के व्यापारी सदस्य का निर्वाचन
मण्डी समिति जिला के तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन
मण्डी समिति जिला के अध्यक्ष का निर्वाचन
मतदान केन्द्र क्रमांक

मैं, पिता / पति का नाम आयु वर्ष
पता एतद्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि .—

(क) मैंने आज तारीख को किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है.

(ख) मैं, श्री / श्रीमति / कुमारी जो कि मण्डी समिति की निर्वाचक नामावली के अनुक्रमांक पर मतदाता के रूप में प्रविष्ट हैं, की ओर से मेरे द्वारा दिये गये मत को गुप्त रखूंगा / रखूंगी.

स्थान
तारीख

.
साथी व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
प्रतिहस्ताक्षरित
पीठासीन अधिकारी,
मतदान केन्द्र क्रमांक

प्ररूप-19

[नियम 59(2) देखिये]

निरक्षर / अंधे / शिथिलांग मतदाताओं की सूची

मण्डी समिति जिला के निर्वाचन क्षेत्र क्र. के कृषक सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के व्यापारी सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के अध्यक्ष का निर्वाचन
 मतदान केन्द्र क्रमांक

अनुक्रमांक	मतदाता का नाम, पिता / पति का नाम	निर्वाचन नामावली में मतदाता का अनुक्रमांक	व्यक्ति का पूरा नाम, पिता / पति का नाम	साथी व्यक्ति का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान
 तारीख पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-20

[नियम 61(2) देखिये]

निविदत्त मतों की सूची

(1) मण्डी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन
 (2) मण्डी समिति के व्यापारी सदस्य का निर्वाचन
 (3) मण्डी समिति के तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन
 (4) मण्डी समिति के निर्वाचन क्षेत्र क्र. के कृषक सदस्य का निर्वाचन
 मतदान केन्द्र क्रमांक स्थान

अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	ग्राम का नाम, जिससे मतदाता सूची संबंधित है	निविदत्त मतपत्र का अनुक्रमांक	उस व्यक्ति को जिसने पहले ही मत डाल दिया है जारी किए मतपत्र का अनुक्रमांक	मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

स्थान
 तारीख पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-21

(नियम 64 देखिये)

भाग 1 मतपत्र लेखा

मण्डी समिति जिला के निर्वाचन क्षेत्र क्र. के कृषक सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के निर्वाचन क्षेत्र क्र. के व्यापारी के प्रतिनिधि का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के तुलैया तथा हम्माल के सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के निर्वाचन क्षेत्र क्र. के अध्यक्ष का निर्वाचन
 मतदान केन्द्र का क्रमांक अनुक्रमांक कुल संख्या

1. पीठासीन अधिकारी को प्राप्त मतपत्रों की संख्या :
2. उपयोग में न लाए गये मतपत्रों की संख्या :
3. मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गये मतपत्रों की संख्या (1-2=3) :
4. उपयोग में लाए गये किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रों की संख्या. :
- (क) मुद्रण तथा लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या. :
- (ख) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या. :
- (ग) रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या :
- योग (क+ख+ग)
5. मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या (3-4=5) :

स्थान पीठासीन अधिकारी की
 तारीख मोहर पीठासीन अधिकारी
 नाम

भाग 2 प्रारंभिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी/मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या
2. इस भाग में मद 1 के सामने दर्शाई गई कुल संख्या और भाग-1 की मद 5 में उल्लिखित मतपत्रों की कुल संख्या में अन्तर, यदि कोई हो

.....
 गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
 नाम रिटर्निंग अधिकारी
 नाम

प्ररूप-22

[नियम 74 (2) देखिये]

कृषक सदस्य / व्यापारी सदस्य / तुलैया तथा हम्माल सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना

मण्डी समिति जिला

मतदान केन्द्र क्रमांक

मतदान केन्द्र में सम्मिलित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों के अनुक्रमांक

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

- (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या
- (ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या
- (ग) डाले गये मतों की कुल संख्या

मतगणना का स्थान
तारीख

रिटर्निंग अधिकारी
रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप-25

[नियम 78 (1) देखिये]

मण्डी समिति जिला के कृषक सदस्य / व्यापारी सदस्य / तुलैया तथा हम्माल सदस्य के निर्वाचन के लिये परिणाम की शीट.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	मतदान केन्द्र में अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या	विधिमान्य मतों का कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)
		1 2 3 4 5 6 7 8	

विधिमान्य मतों की कुल संख्या

अविधिमान्य मतों की संख्या

डाले गए मतों की कुल संख्या

मैं, यह घोषित करता हूँ कि —

(नाम)

पता

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए / गई हैं.

स्थान

तारीख 20 .. दिन

रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी)

प्ररूप-27

(नियम 44 देखिये)

निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा-सह-प्रमाण पत्र

मण्डी समिति जिला के निर्वाचन क्षेत्र क्र. से कृषक सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के व्यापारी सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के तुलैया तथा हम्माल सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के अध्यक्ष का निर्वाचन

मध्यप्रदेश कृषि-उपज (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 44 के उपबंध के अनुसरण में, मैं
 रिटर्निंग आफिसर यह घोषित करता हूँ कि—

श्री / कुमारी / श्रीमती पिता / पति का नाम
 पता जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी था / थी. मण्डी समिति के सदस्य
 / अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया / की गई है और उसके प्रमाणस्वरूप उन्हें निर्वाचन का यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया
 जाता है.

स्थान
 तारीख रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी) समिति

प्ररूप-28

(नियम 80 देखिये)

निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

मण्डी समिति जिला के निर्वाचन क्षेत्र क्र. से कृषक सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के व्यापारी सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के तुलैया तथा हम्माल सदस्य का निर्वाचन
 मण्डी समिति जिला के अध्यक्ष का निर्वाचन

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 80 के उपबंध के अनुसरण में, मैं
 रिटर्निंग आफिसर यह घोषित करता हूँ कि—

श्री / कुमारी / श्रीमती पिता / पति का नाम
 पता जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी था / थी. मण्डी समिति
 के सदस्य / अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया / की गई है और उसके प्रमाणस्वरूप उन्हें निर्वाचन का यह प्रमाण-
 पत्र प्रदान किया जाता है.

स्थान
 तारीख रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी) समिति
 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

क्र. डी-15-05-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक
 अधिसूचना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, dated 26th October 2010

NOTICE

No. D-15-30-10-XIV-3.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Rules, 1997 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 79 read with clause (g) of sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of the said Section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 2, for clause, (e) the following clause shall be substituted, namely:—

“(e) “constituency” means ten constituencies for the agriculturist representative or the constituency for the chairman of the Market Committee or the constituency for the traders or the constituency for the weighman and hammal, as the case may be.”

2. In rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) Every market area shall be divided into ten constituencies for the purposes of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Act, and for the purposes of clause (c) of sub-section (1) of Section 11 of the Act, the whole market area shall be one constituency for traders representative, and for the purpose of clause (g) of sub-section (1) of Section 11 of the Act, the whole market area shall be one constituency for the representative of weighman and hammal.”

3. In rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The Collector shall, subject to the provisions of Sections 11, 11-B and 12 of the Act, cause to be prepared voter list in Form-1 separately for each agriculturist constituency and a list of voters for electing traders, weighman and hammal representative for each market committee.”

4. In rule 12, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(5) The year in which the election is notified, revised voters list of that year will be effective for next succeeding year till completion of the said election process.”

5. After rule 14-B, the following rule shall be inserted, namely :-

“14-C. Preparation of voters list for the election of weighman and hammal representative for the first time.

- (1) Notwithstanding anything contained in this Chapter and subject to other provisions of the Act, the Collector shall prepare the voters list in Form-1 for the election of weighman and hammal representative for the first time.
- (2) For the purpose of preparing the voters list, the Collector shall call upon the Market Committee to prepare and furnish him the names of all persons holding licenses from the Market Committee for a period of two successive years (in case of Market Committee established for the first time under section 10 of the Act, the qualifying period of holding licence from such Market Committee shall be six months) for weighman or hammal.

(3) For preparing the voters list under this rule the procedure contained in sub-rule (6) of rule 14-A shall mutatis mutandis be followed.”.

6. In rule 29, in sub-rule (2), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

“(ba) In the case of election of weighman’s and hammal’s representative in Form 6-A;”;

7. In rule 31, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) In case of a candidate for agriculturist, trader, weighman and hammal from any constituency, a sum of Rupees One Thousand and where a candidate is woman or a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes, a sum of Rupees Two Hundred and Fifty;”.

8. In rule 35, in sub-rule (1), for figure “12”, the figures “12, 12-A” shall be substituted.

9. After rule 82, the following rule shall be inserted, namely :—

“82-A. Election of weighman’s and hammal’s representative.

(1) No person shall be qualified to be elected as representative of the weighman and hammal unless—

- his name is included in the list of voters prepared under the provision of clause (g) of sub-section (1) of Section 11 of the Act;
- he is a weighman or hammal;
- he is otherwise disqualified for being so elected;
- he has completed the age of 21 years.

(2) No person shall be eligible for election of the representative of the weighman or hammal for more than one Market Committee.

(3) The provision of rule 43 to 82-A of these rules shall apply for the election of the representative of weighman and hammal.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

10. For Form 1 and 4, the following Forms shall respectively besubstituted, namely :—

“FORM—1

[See rule- 7(1)]

Voters List

Name of Mandi.....

District.....

Name of Constituency (If any).....Serial Number of Constituency.....

Sl No	Sl No. of Agricultural Holding/ Licence Number	House Number (If any)	Name of Voter	Father's/ Husband's Name	Male/ Female	Age	Agriculturist/ Trader/ Weighman and Hammal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Place.....

Date

Registration Officer (Mandi)

**Supplementary Voters List
(1) Inclusion**

Sl No.	Sl No. of Agricultural Holding/ Licence Number	House Number (If any)	Name of Voter	Father's/ Husband's Name	Male/ Female	Age	Agriculturist/ Trader/ Weighman and Hammal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(2) Correction

Sl.No. of Main Voter List	Name of Voter	Present entry (Which is to be amended)	Amended entry
(1)	(2)	(3)	(4)

(3) Deletion

Sl. No. of Main Voter List	Name of Voter
(1)	(2)

.....
Registration Officer

FORM—4

[See rule 26]

Office of The District Election Officer (Mandi)

Notice of Election

NOTICE OF ELECTION REGARDING CHAIRMAN, AGRICULTURIST, WEIGHMAN, HAMMAL AND TRADER MEMBER

No.....In exercise of the powers conferred under rule 26 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Rules, 1997, I.....District Election Officer do hereby give notice in relation to the election of Chairman and Members of the Mandi Committee specified in column (1) of the Schedule enclosed herewith that-

- The vacant seats are specified in column (2) of the Schedule for which election will be held;
- The Officer specified in column (3) of the Schedule to be the Returning Officer (Mandi) for conducting the election of Chairman & Members of Mandi Committee;

- (c) The place, date and time specified in column (4) to be the place, last date and the time for making nominations;
- (d) The place, date and time specified in column (5) to be place, date and time for the scrutiny of nominations;
- (e) The place, date and time specified in column (6) to be the place, date and hour for withdrawal of nominations;
- (f) The place, date and time specified in column (7) to be the place, date and time during which the poll shall be taken;
- (g) The place, date and time specified in column (8) to be the place, date and time for the counting of votes.

Place.....

.....

Date.....

District Election Officer (Mandi)

SCHEDULE

Name of Mandi	Vacant Seat for which Election shall be held	Name and designation of the Returning Officer (Mandi)	Place, last date and time for making nomination	Place, date and time for scrutiny of nominations	Place, date and time for withdrawal of nomination	Place of poll, date and time during which poll shall be taken	Place, date and time for the counting of votes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Place.....

Date.....

District Election Officer (Mandi)

11. After Form 6, the following Form shall be inserted, namely :—

“FORM—6 A*(See rule 29)*

Nomination Paper

ELECTION OF WEIGHMAN AND HAMMAL MEMBER OF MANDI COMMITTEE

I nominate as a candidate for election to the seat of.....Mandi
Committee.....District.....

Candidate's name.....

Father's /Husband's Name.....

His Postal Address

.....

His name is entered at Serial No. of the voters list of Agriculturist Constituency No.
of Mandi Committee District

My Name is it is entered at Serial No. of the voter list of Constituency
No. of Mandi Committee

District

Date.....

.....
Signature/Thumb impression of proposer

I, the above mentioned

candidate.....assent to this Nomination and
hereby declare-

- (a) That I have completed.....years of age;
- (b) That my name and my Father's/Husband's name have been correctly spelt out above in Hindi written in Devnagri Script.
- (c) That to the best of my knowledge and belief I am qualified and also not disqualified for being chosen to the seat of weighman/hammal Member of Mandi Committee.....
- (d) That I am a member of the.....Caste/Tribe/Other Backward Classes of Madhya Pradesh in relation to.....(area) of the State.

.....
Signature of Candidate

(To be filled by Returning Officer)

Serial Number of Nomination paper.....This Nomination paper
was delivered to me at.....(hours) on.....(date) by the candidate/
proposer.

Date.....

.....
Returning Officer (Mandi)

Decision of the Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper

I have examined the Nomination paper in accordance with Rule.....of the Madhya Pradesh Krishi
Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Rules, 1997 and decide as follows:—

Date.....

.....
Returning Officer (Mandi)

Receipt of Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the Nomination Paper)

Serial Number of the Nomination Paper.....a Candidate for
Election.....was delivered to me at.....(hours)
on.....(date) by the candidate/proposer. All Nomination Papers will be taken up for
scrutiny..... at.....(hours) on.....(date)
at.....(place)

Date.....

Returning Officer (Mandi)

12. For Form 8, 9 and 10, the following Forms shall respectively be substituted, namely :—

“FORM – 8
[See rule 33 (8)]

List of Candidates whose Nomination papers are valid

ELECTION OF THE CHAIRMAN,/AGRICULTURIST/TRADER MEMBER/ WEIGHMAN AND HAMMAL
MANDI COMMITTEE.....DISTRICT.....

Serial No (1)	Name of Candidate (2)	Father's/Husband's Name (3)	Address of candidate (4)

Place.....

Date

Time

.....

Returning Officer (Mandi)

FORM-9

[See sub-rule (1) of rule 34]

APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Mandi Committee.....District.....Election of Agriculture Member

Mandi Committee.....District..... Election of Trader Member

Mandi Committee.....District.....Election of Weighman and Hammal

Mandi Committee..... District.....Election of Chairman

To,
Returning Officer

.....

For the election

of.....Member
in.....Constituency No..... of Marketing
Committee.....of.....a
candidate duly Nominated at the above mentioned Election, do hereby give Notice that I withdraw my candidature
dated this.....day of.....20
Place.....
Date.....

Signature of Candidate

CERTIFICATE OF DELIVERY BY ELECTION AUTHORITY

This Notice of withdrawal was delivered to me at my Office at (hour).....on (date).....by the candidate/candidate's proposer/second, who has been authorized by the candidate to deliver it.

Place.....

Date.....

.....
Returning Officer (Mandi)

FORM—10

[See sub-rule (4) of rule 34]

Notice for withdrawal of Candidature

Mandi Committee.....District.....Election of Agriculture Member Mandi committee.....District.....Election of Trader Member.....Mandi Committee.....District.....Weighman and Hammal Member, Mandi Committee.....District..... Election of Chairman.

It is hereby notified that following validly Nominated Candidates of the aforesaid Election have withdrawn their candidature.

Serial No	Name of the Valid Nominated Candidate	Father's/Husband's Name	Address
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			

Place.....

Date.....

Name.....

.....
Returning Officer (Mandi)''.

13. After form 12, the following form shall be inserted, namely :-

“FORM—12-A

[See rule 35 (1)]

List of Contesting Candidates

ELECTION OF WEIGHMAN AND HAMMAL MEMBER OF MANDI COMMITTEE

From Constituency No.....

Serial (1)	Name of Candidate (2)	Address of Candidate (3)	Symbol Allotted (4)
1			
2			
3			
4			
5			
Etc.			

Place.....

Date.....

.....
Returning Officer (Mandi)”.
.....

14. For Form 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 and 28, the following Form shall respectively be substituted, namely :-

“FORM -15

[See rule 39 (1)]

Appointment of Polling Agent

Election to.....

CHAIRMAN.....

AGRICULTURIST MEMBER : from Constituency No.....

TRADER MEMBER: from Constituency No.....

WEIGHMAN AND HAMMAL: from Constituency No.....

MANDI COMMITTEE.....

I,.....a candidate/ the Election agent of.....who is a candidate at the above Election do hereby appoint.....(Name and Address) as a Polling Agent to attend Polling Station No.....at.....

Place.....

Date.....

.....
Signature of Candidate/Election Agent

I agree to act as such Polling Agent

Place.....

Date.....

.....
Signature of Polling Agent

Declaration of Polling Agent to be signed before the Presiding Officer

I hereby declare that at the above election I will not do anything forbidden by the Act or rules made thereunder.

.....

Signed before me

Place.....

Date.....

.....
Signature of Polling Agent

.....
Signature of Presiding Officer

FORM—16

[See Rule 40 (1)]

Appointment of Counting Agent

Election to.....

CHAIRMAN.....

TRADER MEMBER.....

WEIGHMAN AND HAMMAL MEMBER.....

AGRICULTURIST MEMBER: from Constituency No.....

MANDI.....

I.....a candidate/the Election agent of.....who is a candidate at the above Election do hereby appoint..... (Name and Address)

as a counting Agent to attend counting place No.....at.....

Place.....

Date.....

.....
Signature of Candidate/Election Agent

I agree above appointment

Place.....

Date.....

.....
Signature of Counting Agent

Declaration of Counting Agent to be signed before the Returning Officer

I hereby declare that at the above election I will not do anything forbidden by the Act or rules made thereunder.

.....
before me

..... Signed
Signature of Counting Agent

Place.....

Date.....

.....
Signature of Returning Officer (Mandi)

FORM—17
[See rule 55 (2)]

List of Challenged Votes

Particulars of challenge votes during the election to.....

- (1) Election of Chairman of Mandi Committee.....
 (2) Election of Trader Member of Mandi Committee.....
 (3) Weighman and Hammal Member.....
 (4) Election of Agriculturist Member of Mandi Committee.....

From Constituency No.....Polling Station No.....Place.....

S. No.	Name of Voter	S.No in Voter's list	Name of Gram to which Voter's list pertains	Signature or thumb impression of the person challenged
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Name of the person challenged	Name of identifier, if any	Name of challenger	Order of Presiding Officer	Signature of Challenger on receiving refund of deposit
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Place.....
Date.....

.....
Signature of Presiding Officer

FORM—18

[See rule 59 (1)]

Declaration by the Person Accompanying illiterate Blind and Infirm Voters

Mandi CommitteeDistrict.....Election of Agriculture Member Constituency
No.....Mandi CommitteeDistrict.....Trader Member.....
Mandi Committee.....District.....Weighman and Hammal Member, Mandi Committee.....
District.....Chairman.....

Polling Station Number.....

I.....Father's/Husband's Name.....
.....Age.....years.....Address.....

Do hereby declare that,-

(a) I have not accompanied any of the voters in any Polling Station today

(b) I will keep secret the vote casted by me on behalf of Shri/Smt./Ku.....whose name is entered
at Sl. No.....of the electoral roll of Mandi Committee.....

Place.....

Date.....

Signature of the Person Accompanying

Name.....

Countersigned

Presiding Officer,

Polling Station Number.....

FORM—19

[See rule 59 (2)]

List of Illiterate, Blind and Infirm Voters

Mandi Committee.....District.....Election of Agriculture Member Constituency
No.....Mandi Committee.....District.....Election of Trader
Member.....Mandi Weighman and Hammal Member Mandi
Committee.....District.....Election of Chairman.....

Polling Station Number.....

S.No.	Name of Voter Father's/ Husband's	S.No. of Voter in Electoral Roll	Name, Father's/ Husband's name of the person	Address of person accompanying
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Place.....

Date.....

Signature of the Presiding Officer

FORM—20

[See rule 61 (2)]

List of Tendered Votes

Election to –

Chairman Mandi Committee.....
 Mandi CommitteeTrader Member
 Mandi Committee.....District..... Election of Weighman and Hammal Mandi
 Committee.....Agriculturist Member from Constituency No.....Mandi commit-
 tee.....
 Polling Station No.....Place.....

S.No.	Name of Voter	S.No. in Voter's List	Name of Village to which Voter's list pertains	S.No. of tendered ballot paper	S.No. of the ballot paper issued to which person who has already voted	Signature or thumb impression of the voter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Place.....

Date

.....
Signature of the Presiding Officer**FORM- 21**

(See rule -64)

Part –I, Ballot Paper Account

Election to –

Mandi Committee.....District.....Constituency No..... ... Agriculturist Member Mandi
 Committee.....District.....Constituency No..... Trader representative Mandi
 Committee.....District..... Election of Weighman and Hammal member Mandi
 Committee.....District.....Constituency No.....Chairman.

Serial No. of Polling Station Serial Number Total Number

1. No. of Ballot Paper received by the Presiding Officer
2. No. of unused Ballot Paper.
3. No. of Ballot Paper used in the Polling Station (1-2=3)
4. No. of Ballot paper used but not inserted in the Ballot Box
 - (a) Ballot Papers cancelled due to Printing and Writing mistakes.
 - (b) Ballot Paper used as tendered Ballot Papers
 - (c) No. of Ballot Paper Cancelled

 Total (a+b+c):

5. Number of Ballot Papers in Ballot Box (3-4=5)

Place..... Seal of Presiding Officer
Date Presiding Officer Name

Part – II – Result of Initial Counting

1. Total Number of ballot paper found in the ballot box(es) used at the Polling Station.....
2. Discrepancy, if any between the total number as shown against item 1 in this part and the total number of ballot papers to be formed in the ballot box(es) in item 5 of part 1
- 3.

.....
Signature of Counting Supervisor
Name.....

Returning Officer
Name

FORM—22
[See rule -74 (2)]

Counting of Votes in the Election in Agriculturist/Traders Member/ Weighman and Hammal

Mandi Committee.....District.....

Polling station No.....S.No. of Constituencies included in Polling Station.....

Serial No.	Name of Candidate	No. of valid votes in Favour of the Candidate
(1)	(2)	(3)

Total No. of valid Votes

Total No. of rejected Vote

Total No. of Votes Polled

Place of Counting..... Returning Officer (Mandi)

Date..... Officer authorized by Returning Officer (Mandi).

FORM- 25
[See rule 78 (1)]

Result Sheet for the Election of Agricultural Member/Trader Member/Weighman and

Hammal Mandi Committee.....District.....

S.No (1)	Name of Candidate (2)	Number of Valid Votes Cast in favour of every Candidate in polling Station Number (3)								Total No. of valid votes (4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

Total No. of valid Votes
Total No. of invalid Votes
Total No. of Polled Votes

I declare that –

(Name).....Address.....has been duly elected.

Dated.....day of.....20

.....
Returning Officer (Mandi)

FORM- 27
(See rule 44)

Declaration of Uncontested Election-Cum-Election Certificate

Mandi Committee.....District.....Constituency No.....Election of
Agriculturist Member Mandi committee.....District.....Election of Trader member Mandi
Committee.....District.....Election of Weighman and Hammal Mandi
Committee.....District.....Election of Chairman

In pursuance with the provision of rule 44 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Kar Nirvachan) Rules, 1997.....Returning Officer of Mandi.....hereby declared that Shri/Smt./Ku.....Father's/Husband's Name.....Address..... who was a candidate in the aforesaid election have been duly elected as.....Member/Chairman of Mandi Committee.....and that in token thereof I have granted to him/her the certificate of election.

Place.....
Date.....

.....
Returning Officer Mandi Committee

FORM – 28

(See rule 80)

ELECTION CERTIFICATE

Mandi Committee.....District.....Constituency No.....Election of
 Agriculturist Member
 Mandi committee.....District.....Election of Trader member Mandi
 Committee.....District.....Election of Weighman and Hammal Mandi
 Committee.....District.....Election of Chairman

In pursuance with the provision of rule 80 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Rules, 1997.....Returning Officer of Mandi.....hereby declared that Shri/Smt./ Ku.....Father's/Husband's Name.....
 Address.....who was a candidate in the aforesaid Election have been duly elected as.....Member/Chairman of Mandi Committee.....and that in token there of I have granted to him/her the certificate of election.

Place.....

Date.....

.....

Returning Officer Mandi Committee